AXIS BANK LIMITED

एक्सिस बैंक लिमिटेड रिटेल लेंडिंग एण्ड पेमेंट ग्रुप (लोकल ऑफिस/शाखा) :
स्टार आर्केड, प्लॉट नं. 165ए-166, प्रथम तल, एमपी नगर जोन 1, भोपाल-462011 (म.प्र.)

मांग सूचना

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम (3) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत)

जबकि, आपके अनुरोध पर, बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित बनाने वाली विभिन्न संपत्तियों के खिलाफ वित्तीय सहायता के माध्यम से समय-समय पर नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को विभिन्न क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित करते हुए स्वामित्व विलेख जमा करने के माध्यम से आपके द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति (यों) का विवरण यहां नीचे दिया गया है। जैसा कि आप बैंक को देय ऋण का भुगतान करने में विफल रहे हैं, आपके खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चूंकि पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गयी बैंक को बकाया कर्ज चुकाने की मांग सूचना डाक विभाग की ओर से वापस कर दी गयी गयी थीं अतः यह सूचना जारी की जाती है।

क्र. सं.	आवेदक/सह-आवेदक/जमानतियों के नाम/खाता सं.	देयता रुपयों में	प्रस्तावित सम्पत्ति इक्विटेबल बंधक
1	(1) मेसर्स आमीन ट्रेडर्स (कर्जदार) शहर पिपलिया मंडी तहसील-मल्हारगढ़, मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458664 इसके अलावा: गोदाम नंबर 10 कृषि उपज मंडी पिपलिया मंडी, मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458664 (2) हुसैन खान पठान पुत्र काले खान पठान (गारंटर/बंधक) मकान नं. 18, अंजुमन गली नंबर 2, ग्राम पिपलिया मंडी, तहसील मल्हारगढ़, गुड़भेली, मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458664 ऋण खाता संख्या: 923030000260517 मांग सूचना दिनांक: 05/10/2023 एनपीए की तिथि: 19/06/2023	29/09/2023 को रु. 16,93,717/- (रुपये सोलह लाख तिरानवे हजार सात सौ सत्रह मात्र) (29/09/2023 तक ब्याज सहित)	सर्वे क्रमांक 28/2/1/2 ग्राम टीलाखेड़ा, नगर परिषद पिपलियामंडी, वार्ड क्रमांक 15 मंडी से नाका नंबर 03 पिपलियामंडी तहसील-मल्हारगढ़, मंदसौर। क्षेत्रफल 139.354 वर्ग मी. हुसैन खान पठान पुत्र काले खान पठान के नाम पर। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः विक्रेता विनोद जाजवानी की शेष भूमि पश्चिमः विक्रेता विनोद जाजवानी की शेष भूमि उत्तरः गौरीशंकर जी की भूमि दक्षिणः कच्चा रास्ता 25 फीट।
2	(1). मेसर्स राज ट्रेडर्स (कर्जदार/बंधककर्ता) 02 रेड क्रॉस सोसाइटी कॉम्प्लेक्स चेतन्य मार्ग के पास झाबुआ मध्य प्रदेश 457661 (2) अजय कुमार पुरोहित पुत्र मोहनलाल पुरोहित (गारंटर 1/बंधककर्ता) बाबेल, कंपाउंड झाबुआ, जिला-झाबुआ, मध्य प्रदेश, 457661 ऋण खाता संख्या: 920030070767689 मांग सूचना दिनांक: 19/10/2023 एनपीए की तिथि: 01/07/2017	29/09/2023 को रु. 1,31,70,738.11/- (रुपये एक करोड़ इकतीस लाख सत्तर हजार सात सौ अड़तीस और ग्यारह पैसे मात्र) (29/09/2023 तक ब्याज सहित)	मकान नंबर 66 खसरा नंबर 10/मिन-74, नेचुरल ग्रीन पार्क कॉलोनी, पीएच नं. 24, ग्राम हरिबाई की बावड़ी, जाभुआ मध्य प्रदेश में नगर निगम की सीमा में स्थित है। क्षेत्रफल 1871 वर्ग मी, अजय के नाम पर, सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः प्लॉट नंबर 65 पश्चिमः कॉलोनी के अंदर का आम रास्ता, उत्तरः प्लॉट नंबर 67 दक्षिणः कॉलोनी के अंदर का आम रास्ता।
3	(1) प्रदीप कुमार सोमानी पुत्र रामचन्द्र सोमानी (कर्जदार/बंधककर्ता) प्रताप गंज मार्ग अलीराजपुर मध्य प्रदेश-457887 (2) अर्पित प्रदीप सोमानी पुत्र प्रदीप कुमार सोमानी (गारंटर) 306, प्रताप गंज, मार्ग अलीराजपुर, हाटगली, आजंदा, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश, 45 ऋण खाता संख्या: 922030016870895 तथा 922030016870905 मांग सूचना दिनांक: 19/10/2023 एनपीए की तिथि: 07/12/2017	रु. 26475/- (रुपये छब्बीस हजार चार सौ बहत्तर मात्र) और रु. 4742572.60/- (रुपये सैंतालीस लाख बयालीस हजार पांच सौ बहत्तर और साठ पैसे मात्र) तिथि 29/09/2023 को (29.09.2023 तक ब्याज सहित)	वार्ड नंबर 15, मकान नंबर 249 महात्मा गांधी मार्ग, अलीराजपुर, नगर पालिका परिषद अलीराजपुर, जिला-अलीराजपुर मध्य प्रदेश 457887। कुल क्षेत्रफल 1785 वर्ग फीट। प्रदीप कुमार सोमानी पुत्र रामचन्द्र सोमानी का नाम। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सड़क पश्चिमः महात्मा गांधी मार्ग उत्तरः कमलेश पोरवाल का प्लॉट दक्षिणः शांतिलाल आगाल का घर
4	(1) राजेश पुत्र रमेश चंद्र (कर्जदार) ग्राम-सेमला गोगा मुंडला बरोल राजगढ़ झाडिया मध्य प्रदेश 465667 (2) रोहित चंद्रवंशी पुत्र रमेश चंद्रवंशी (गारंटर 1) सेमला गोया मुंडला बरोल राजगढ़ मध्य प्रदेश 465667 (3) राजल बाई पत्नी रमेश (बंधक/गारंटर2) ग्राम-सेमला गोगा सेमला गोगा राजगढ़ मुंडला बरोल राजगढ़ मध्य प्रदेश 465667 ऋण खाता संख्या: 918030019600997 तथा 918030019602388 मांग सूचना दिनांक: 19/10/2023 एनपीए की तिथि: 23/08/2023	29/09/20 23 तक रु. 91735.54/- (रुपये इक्यानवे हजार सात सौ पैंतीस रुपये और चौवन पैसे मात्र) एवं रु. 1673539.17/- (रुपये सोलह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ उनतालीस और सत्रह पैसे मात्र) (29/09/2023 तक ब्याज सहित)	आवासीय भूखंड क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट (40x45 = 1800 वर्ग फीट) का समस्त भाग, सर्वे नंबर 698/2/1/1, बंदोबस्त नंबर 39, राजावसा सर्कल नंबर-04, ब्लॉक कुरवार, वार्ड नंबर 7, पीएच. नंबर 128, कुरावर के भाग पर स्थित, एनएच हाईवे रोड मुंडारा पेट्रोल पंप के पास, ग्राम कुरावर, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश 465667, सभी इमारतों और संरचनाओं, फिक्स्चर फिटिंग और सभी संयंत्र और मशीनरी पृथ्वी से जुड़ी हुई है या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ी हुई है, दोनों वर्तमान और भावी, राजीबाई पत्नी रमेश चंद्र के नाम पर। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः श्री सिंगी जी का प्लॉट, पश्चिमः 12 फीट, चौड़ी सड़क उत्तरः श्री विष्णु प्रसाद जी का घर दक्षिणः विक्रेता संपत्ति
5	(1) मेसर्स कृष्णा वेयर हाउस (कर्जदार/बंधककर्ता) टेमला रोड सेंट्रल जेल के पास खरगोन, खरगोन, मंडलेश्वर (म.प्र.) 451221 (2) श्रीमती मयूरी महाजन (मालिक) मकान नंबर 33 गुरुवा दरवाजा मार्ग सिद्धमाता मंदिर खरगोन, खरगोन पश्चिम निमाड़ (म.प्र.) 451001 (3) पीयूष महाजन पुत्र श्यामसुंदर महाजन (बंधककता/गारंटर) मकान नंबर 33 गुरवा दरवाजा मार्ग सिद्धमाता मंदिर खरगोन, खरगोन पश्चिम निमाड़ (म.प्र.) 451001 (4) मिथलेश महाजन पिता कैलाशचंद्र महाजन (बंधककर्ता/गारंटर) मकान नंबर 33 गुरवा दरवाजा मार्ग सिद्धमाता मंदिर खरगोन, खरगोन पश्चिम निमाड़ (म.प्र.) 451001 (5) कृष्णलाल महाजन पुत्र बाबूलाल महाजन (बंधककर्ता/गारंटर3) मकान नंबर 33 गुरुवा दरवाजा मार्ग सिद्धमाता मंदिर खरगोन, खरगोन पश्चिम निमाड़ (म.प्र.) 451001 (6) श्याम सुंदर महाजन (गारंटर4) मकान नंबर 33 गुरुवा दरवाजा मार्ग सिद्धमाता मंदिर खरगोन, खरगोन पश्चिम निमाड़ (म.प्र.) 451001 (7) कैलाशचंद्र महाजन (गारंटर5) मकान नंबर 33 गुरवा दरवाजाजा मार्ग सिद्धमाता मंदिर खरगोन, खरगोन पश्चिम निमाड़ (म.प्र.) 451001 ऋण खाता संख्या: 919060076616667 और 919060076626994 मांग सूचना दिनांक: 05/09/2023 एनपीए की तिथि: 29/06/2023	13/06/2023 तक रु. 8,98,218/- (रुपये आठ लाख अट्ठानवे हजार दो सौ अठारह मात्र) (13/06/2023 तक ब्याज सहित) एवं 13/06/2023 तक रु. 50,85,589/- (रुपये पचास लाख पचासी हजार पांच सौ निन्यानबे मात्र) (13/06/2023 तक ब्याज सहित)	**संपत्ति 1:** वाणिज्यिक भूमि और भवन का समस्त भाग, क्षेत्र 0.385 हेक्टेयर, गांवः दामखेड़ा, पी.एच. नंबर 41 पुराना 23, खसरा नंबर 31/6, खरगोन, मध्य प्रदेश में स्थित, सभी इमारतों और उन पर संरचनाओं, फिक्स्चर, फिटिंग और सभी संयंत्र और मशीनरी के साथ पृथ्वी से जुड़ा हुआ है या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ा हुआ है, दोनों वर्तमान और भावी, श्री पीयूष महाजन पुत्र श्यामसुंदर महाजन के नाम पर। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः उस सर्वेक्षण संख्या की शेष भूमि, पश्चिमः श्री पीयूष महाजन की कृषि भूमि, उत्तरः श्री संतोष मारू की कृषि भूमि, दक्षिणः गिरीश पुत्र श्री श्रीराम गावशिंदे की कृषि भूमि। **संपत्ति 2:** वाणिज्यिक भूमि और भवन का समस्त भाग, क्षेत्र 0.385 हेक्टेयर, गांवः दामखेड़ा, पी.एच. नंबर 41 पुराना 23, खसरा नंबर 31/7, खरगोन, मध्य प्रदेश में स्थित, सभी इमारतों और उन पर संरचनाओं, फिक्स्चर, फिटिंग और सभी संयंत्र और मशीनरी के साथ पृथ्वी से जुड़ा हुआ है या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ा हुआ है, वर्तमान और भावी दोनों, मिथलेश महाजन पुत्र कैलाश चंद्र महाजन के नाम पर, सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः उस सर्वेक्षण संख्या की शेष भूमि, पश्चिमः श्री पीयूष महाजन की कृषि भूमि (यह सर्वेक्षण) उत्तरः श्री संतोष मारू की कृषि भूमि दक्षिणः गिरीश पुत्र श्री श्रीराम गावशिंदे की कृषि भूमि **संपत्ति 3:** वाणिज्यिक भूमि और भवन का समस्त भाग, क्षेत्रफल 2400 वर्ग फुट, पी.एच.नं. पर स्थित 36, गांवः जेतापुर, सनावद रोड, रामश्री के पास, मध्य प्रदेश खरगोन, सभी इमारतों और संरचनाओं, फिक्स्चर, फिटिंग और सभी संयंत्र और मशीनरी के साथ पृथ्वी से जुड़े या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़े हुए, वर्तमान और भविष्य दोनों श्री कृष्णलाल महाजन पुत्र बाबूलाल महाजन के नाम पर। सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः श्री दामोदर पुत्र हीरालाल महाजन का प्लॉट नंबर 4, पश्चिमः जगन्नाथ और अन्य का प्लॉट नंबर 6, उत्तरः आम सड़क, दक्षिणः सर्वे नंबर 20/1 की भूमि

यदि आप ऊपर वर्णित व्यक्ति सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के संदर्भ में इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज और आकस्मिक खर्चों, लागतों के साथ आपके द्वारा देय उपर्युक्त राशि को चुकाने में विफल रहते हैं तो बैंक सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के तहत दिए गए सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। यह नोटिस बैंक के इस तरह के अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जैसा कि यह कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत अपेक्षित है।

दिनांक: 10.11.2023, स्थान: मध्य प्रदेश **प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड**

METROPOLITAN STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

Address: - 205A, 2nd Floor, Piramal Agastya Corporate Park, Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West), Mumbai – 400 070. • Tel:- 022-+91 22 6112 9000; Email: - Listing@msei.in

PUBLIC NOTICE

Public notice for compulsory delisting of equity shares of companies in terms of Regulation 32(3) of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021.

In terms of Regulation 32(3) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations") and as per the rules made under Section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Rules, Bye-Laws and Regulations of Metropolitan Stock Exchange of India Limited ("the Exchange"), NOTICE is hereby given that the Exchange proposes to delist the undermentioned companies from the Exchange as the said companies have, inter alia, made out grounds for delisting of their securities i.e. the trading in the securities of the said companies has been under suspension for a period of more than six months on account of non-compliance with various provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and various circulars issued by SEBI/ Exchange in this regards from time to time.

The Exchange has issued a show notice to the companies at their last known address and registered email address as per the Exchange records, asking the said companies to SHOW CAUSE as to why the equity shares of the Company should not be compulsorily delisted from the Exchange. They have either failed to reply to the Exchange communication or failed to take steps for completion of revocation of suspension in the trading of their securities.

The list of these companies along with their last know addresses as per exchange records, is given below: -

Sr. No.	Symbol	Company Name	Registered Address of the Company
1.	UPELECT	U P ELECTRICALS LIMITED (ISIN:- INE922R01011)	D-5, First Floor, Awadh Complex, Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi, Delhi, India, 110092.
2.	PORSCHE	PORSCHE CAPITAL MARKET LIMITED (ISIN:- INE939Q01017)	K H - 810, 2ND FLOOR MAHIPAL PUR EXTENSION (NEAR MARUTI WORK SHOP), South West Delhi, NEW DELHI, Delhi, India, 110037
3.	RKMAN	R K MANUFACTURING CO LTD (ISIN:- INE423E01018)	215-A, Manek Center, P.N. Marg, Jamnagar, Jamnagar, Gujarat, India, 361008

The Consequences of Compulsory Delisting include the following: -

These companies would cease to be listed on stock exchange.

In terms of **Regulation 33** of the SEBI Delisting Regulations,

33. (1) Where the equity shares of a company are delisted by a recognised stock exchange under this Chapter, the recognised stock exchange shall appoint an independent valuer(s) who shall determine the fair value of the delisted equity shares.

(2) The recognised stock exchange shall form a Panel of expert valuers and from the said Panel, the valuer(s) for the purposes of sub-regulation (1) shall be appointed.

(3) The value of the delisted equity shares shall be determined by the valuer(s) having regard to the factors mentioned in sub-regulation (2) of regulation 20 of SEBI (Delisting of Equity shares) Regulations, 2021.

(4) The promoter(s) of the company shall acquire the delisted equity shares from the public shareholders by paying them the value determined by the valuer, within three months of the date of delisting from the recognised stock exchange, subject to the option of the public shareholders to retain their shares.

(5) The promoter shall be liable to pay interest at the rate of ten percent per annum to all the shareholders, who offer their shares under the compulsory delisting offer, if the price payable in terms of sub-regulation (3) is not paid to all the shareholders within the time specified under sub-regulation (4):

Provided that in case the delay was not attributable to any act or omission of the acquirer or was caused due to the circumstances beyond the control of the acquirer, the Board may grant waiver from the payment of such interest.

In terms of **Regulation 34** of SEBI Delisting Regulations,

34. (1) Where a company has been compulsorily delisted under this Chapter, the company, its whole-time directors, person(s) responsible for ensuring compliance with the securities laws, its promoters and the companies which are promoted by any of them shall not directly or indirectly access the securities market or seek listing of any equity shares or act as an intermediary in the securities market for a period of ten years from the date of such delisting.

(2) In case of a company whose fair value is positive –

(a) such a company and the depositories shall not effect transfer, by way of sale, pledge, etc., of any of the equity shares held by the promoters / promoter group and the corporate benefits like dividend, rights, bonus shares, split, etc. shall be frozen for all the equity shares held by the promoters/ promoter group, till the promoters of such company provide an exit option to the public shareholders in compliance with sub-regulation (4) of regulation 33 of these regulations, as certified by the relevant recognized stock exchange;

(b) the promoters, whole-time directors and person(s) responsible for ensuring compliance with the securities laws, of the compulsorily delisted company shall also not be eligible to become directors of any listed company till the exit option as mentioned in clause (a) is provided.

*In case, any concerned person is desirous of making any representation to the Exchange, they may do so in writing with all supporting documents, **within 15 working days from the date of this Notice i.e. on or before Friday, December 8, 2023.** Scanned copy of the signed representation containing complete contact details (email id, address and phone number) of the person/s making the representation/s should be sent compulsorily by e-mail to the Exchange's email Id i.e. listing@msei.in.*

Any anonymous representation(s) would not be considered valid.

Kindly note that representations that are sent through any mode of communication other than to the designated email id would not be construed as valid representation and thus, will not be considered by the Exchange.

Place: Mumbai **Date: November 10, 2023**

For and on Behalf of Metropolitan Stock Exchange of India

Authorised Officer

मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : टीसी नं. 14/2074–7, मुथुट सेंटर, पुनैन रोड, तिरूवंततपुरम –695 034
निगमित कार्यालय : 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परिणी क्रिस्नैजो, प्लॉट नं. सी38 व सी39, बांद्रा कूर्ला कॉम्प्लैक्स–जी ब्लॉक (ईस्ट), मुंबई– 400051 ई–मेल आईडी : authorised.officer@muthoot.com

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13(2) के तहत

चूंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूतित हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लि. (''एमएचएफसीएल'') के प्राधिकृत अधिकारी है, ने जारी संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर अब तक की तिथि, लागत और शुल्कों सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी को अपनी देयता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित ऋणी(यों), सह–ऋणी(यों), गारंटर(ओं) को बुलाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचनाएं जारी की थी और आपको वैकल्पिक सेवा के तरीके से और नीचे दिए अनुसार प्रकाशन के द्वारा सूचित किया जाता है। ऋण के देय पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूतित परिसंपत्ति(यों) को क्रमशः उक्त ऋणी(यों), सह–ऋणी(यों), गारंटर(ओं) द्वारा एमएचएफसीएल को गिरवी रखी गई थी।

क्र. सं.	LAN/ऋणी/सह–ऋणी/गारंटर के नाम	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	कुल बकाया राशि
1	ऋण खाता सं. 18101102368 1. जितेंद्र मेहर उर्फ जितेंद्र मेहरा 2. मधु 3. राकेश कुमार	28 सितंबर 2023	19 अक्टूबर, 2023	रु. 2,08,223.10/– (रुपए दो लाख आठ हजार दो सौ तेईस व दस पैसे केवल) 12 अक्टूबर, 2023 तक
	प्रतिभूतित परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरण : संपत्ति बियरिंग मौजूदा प्लॉट 37 जो खसरा नं. 45/1 का भाग है, के सभी भाग व पार्सल, गांव करोंड कलां (लेन्स) तहसील–हुजूर, जिला– भोपाल जो म्यूनिस्पिल कॉर्पोरेशन की सीमाओं के भीतर है, वार्ड नं. 66, मध्य प्रदेश 462038 प्लॉट की सीमाएं हैं : पूर्व : 7.5 फुट चौड़ा रोड और मंदिर, पश्चिम : श्यामपुर शिहोर के मास्टर साहेब का मकान, उत्तर : जैन साहिब की संपत्ति और मास्टर का मकान, श्यामपुर शिहोर का साहेब, दक्षिण : अन्य मकान चाटवाला, क्षेत्र माप 20 फुट बाय 30 फुट 600 वर्ग फुट अर्थात् 55.76 वर्ग मीटर के समान			
2	ऋण खाता सं. 18101076952 व 18101079032 व 1810107837 व 18101106540 1. कोमल बाई पाल 2. गुलशन पाल 3. राजू पाल	28 सितंबर 2023	31 अक्टूबर, 2023	रु. 2,96,965.04/– (रुपए दो लाख छियानवे हजार नौ सौ पैंसठ व चार पैसे केवल) व रु. 1,31,104.01/– (रुपए एक लाख इकतीस हजार एक सौ चार व एक पैसे केवल) व रु. 1,27,058.84 (रुपए एक लाख सत्ताईस हजार अठावन व चौरासी पैसे केवल) व रु. 1,21,277.61/– (रुपए एक लाख इक्कीस हजार दो सौ सतहत्तर व इकसठ पैसे केवल) 18 अक्टूबर, 2023 तक
	प्रतिभूतित परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरण : संपत्ति मौजूदा प्लॉट के सभी भाग व पार्सल, वार्ड नं. 9, हरानिया ओबइदुल्लागंज तहसील गौहरगंज जिला – रेसन मध्य प्रदेश जिसका आकार 20 x 30 फुट, 600 वर्ग फुट अर्थात् 55.76 वर्ग मीटर सहित है खसरा नं. 68, क्षेत्र 0.30 एकड़, 1.81 ग्राम ओबईदुल्लागंज पी.एच.एन. 8 तहसील गौहरगंज जिला रेसन मध्य प्रदेश सीमाएं : उत्तर : आम रास्ता, पश्चिम : सेलर संपत्ति का शेष भाग, पूर्व : श्रीमती राम बाई का प्लॉट, दक्षिण : सेलर संपत्ति का शेष भाग			

यदि उक्त ऋणी, सह–ऋणी(ओं) व गारंटर(ओं) उपरोक्त अनुसार एमएचएफसीएल को भुगतान करने में असफल रहते हैं, एमएचएफसीएल उक्त वर्णित प्रतिभूतित संपत्ति का कब्जे लेने का हकदार होगा और ऋणी के पूरी तरह से जोखिम, लागत व परिणामों पर कंपनी को उपलब्ध ऐसी अन्य सभी कार्यवाही करेगा। उक्त ऋणी(यों), सह–ऋणी(ओं) व गारंटर(ओं) एमएचआईएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बिक्री, लीज या अन्यथा द्वारा उपरोक्त प्रतिभूतित परिसंपत्ति(यों) को हस्तांतरित करने से सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित हैं।

स्थान : मध्य प्रदेश, दिनांक : 10.11.2023 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

श्री वासु लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

CIN: L51109CT2007PLC020232
पंजीकृत कार्यालय: लॉजिस्टिक्स पार्क, जायका ऑटोमोबाइल्स के सामने, रिंग रोड नंबर 1, रायपुर-492001, छ.ग.
वेबसाइट: www.shreevasulogistics.com, ईमेल: cs@logisticpark.biz, दूरभाष: 7000681501

30.09.2023 को समाप्त तिमाही और समाप्त अर्ध वर्ष के लिए लेखा परीक्षित (स्टैंडअलोन) वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

(रु. लाख में)

क्र.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त अर्ध वर्ष		समाप्त वर्ष
		30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनो से कुल आय	3265.00	2927.59	2484.73	6192.59	5006.92	10183.92
2	अवधि के लिए निवल लाभ (कर और अपवादात्मक मदों से पूर्व)	132.03	96.62	63.43	228.65	186.44	313.35
3	अवधि के लिए निवल लाभ (कर पूर्व अपवादात्मक मदों के पश्चात)	132.03	96.62	63.43	228.65	186.44	313.35
4	अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ (अपवादात्मक मदों के पश्चात)	121.50	72.65	47.21	194.15	139.26	204.73
5	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय [अवधि (करोपरांत) के लिए लाभ तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत) सम्मिलित)]	123.56	72.92	47.21	196.48	139.26	184.32
6	इक्विटी शेयर पूंजी	1146.60	1146.60	1146.60	1146.60	1146.60	1146.60
7	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित बैलेंस शीट में दर्शायी गयी है	-	-	-	-	-	1678.56
8	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)						
I)	मूल ईपीएस (₹ में)	1.06	0.63	0.41	1.69	1.21	1.79
II)	तनुकृत ईपीएस (₹ में)	1.06	0.63	0.41	1.69	1.21	1.78

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त परिणाम SEBI (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के पास दायर तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का निष्कर्ष है। वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों **www.nseindia.com** पर तथा कंपनी की वेबसाइट **www.shreevasulogistics.com** पर भी उपलब्ध है।

2. कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किए गए हैं, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पढ़ा गया है।

3. 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और अर्धवर्ष के वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 08 नवंबर, 2023 को आयोजित उनकी बैठकों में अनुमोदित किया गया एवं उस पर ऑडिटर द्वारा जारी सीमित समीक्षा रिपोर्ट दी गई।

कृते, श्री वासु लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
एसडी/- सुरभी देशमुख
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 08.11.2023
स्थान : रायपुर

ख़बरें जो बढ़ाए आपकी तरक्की की रफ़्तार

पहला पन्ना क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार के नाम
देश और आपके प्रदेश की सबसे बड़ी बिज़नेस ख़बरें

शेयरों और क्षेत्रीय मंडियों के भाव
प्रमुख शेयरों और विभिन्न राज्यों की मंडियों के जिंस भाव

कंपनी और जिंस समाचार
कंपनियों, स्टार्ट-अप और जिंस मार्केट पर नज़र, सोमवार से शनिवार

विविध समाचार
राजनीतिक और आर्थिक समाचार

आयाम
मनोरंजन, स्वास्थ्य, ब्रांड, खेल, टेक्नोलॉजी और व्यक्तित्व की बातें

व्यापार गोष्ठी
हर सोमवार एक आर्थिक या सामाजिक मुद्दे पर पाठकों और विशेषज्ञों की राय

अन्य साप्ताहिक पृष्ठ
हर सोमवार, 'स्मार्ट इन्वेस्टर' और आपका निवेश

अपनी प्रति के लिए
SMS **reachbs** to **57575** or email us at **order@bsmail.in**

बिज़नेस स्टैंडर्ड
बेहतर बिज़नेस वो, जो आपकी भाषा में हो

businessstandardhindi bshindi hindi.business-standard.com

हिन्दूजा हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय: 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट मेट्रो स्टेशन, साईपेठ, चेन्नई- 600015
नया शाखा कार्यालय-प्लॉट नंबर 240, जीआरपी कॉलोनी, होटल अलंकार पैलेस के पास, एम.पी. नगर जोन II, भोपाल-462011

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूतिकरण के तहत हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया जाए। और उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए वित्तीय संपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन, हम आपको नोटिस देते हैं कि यदि आप 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं तो नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति अधोहस्ताक्षरी द्वारा बेची जाएगी। यह नोटिस, आपके द्वारा लिए गए ऋण से संबंधित ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार संपूर्ण बकाया ऋण राशि। पंद्रह दिन की समाप्ति के बाद, आपको कोई और नोटिस नहीं दिया जाएगा और नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति तदनुसार बेची जाएगी। साथ ही नीचे वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए सीलबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्हें बेचा जाना है। ,''जैसा है जहां है आधार'', ''जैसा है जो है आधार'' और ''जो कुछ है वही आधार'' के रूप में, जिनका विवरण नीचे दिया गया है –

ऋण खाता संख्या और ऋणी का नाम सहऋणी–/गारंटर	माँग सूचना धारा 13(2) दिनांक एवं राशि	अचल एंव सुरक्षित संपति का विवरण	आरक्षित मूल्य	अग्रिम धन जमा (ईएमडी)
(Loan Account No. MP/BPL/BOPL/A000000099) **1. श्री दिनेश विश्वकर्मा (उधारकर्ता)** **पताः** वार्ड नंबर 16, मकान नंबर 48, आदर्श कॉलोनी, सर्वे नंबर 8/2116, 186/11 ख के हिस्से में स्थित सभी रेजिडेंट प्लॉट/मकान, ग्राम घनश्यामपुरा तहसील–आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.)–466116 **2. श्रीमती कांता बाई (सह–उधारकर्ता)** **पताः** वार्ड क्रमांक 15 शांति नगर आष्टा गली क्रमांक 4, मकान मालिक राकेश चंद्र किशनलाल वर्मा संचेती 31 के सामने, कोर्ट के पास, अर्धशहरी सीहोर, तहसील– आष्टा (मध्य प्रदेश), जिला– सीहोर (म.प्र.) पिनकोड 466116	**29.09.2020** **Rs.38,50,935 (रूपये अड़तीस लाख पचास हजार नौ सौ पैंतीस मात्र)**	संपत्ति का वह सारा हिस्सा और पार्सल जिसमें प्लॉट/घर है वार्ड क्रमांक 16, आदर्श कॉलोनी, सर्वे क्रमांक 8/2116, 186/11 ख के भाग पर स्थित, ग्राम घनश्यामपुरा तहसील–